न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 27/2020

1 विजेन्द्र आयु 45 वर्ष पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जीतराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

2 सुबेसिंह पुत्र बंशीधर जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

3 मृतक गुरूदयाल पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) (दौराने वाद मृत्यु)

3/1 भगवानाराम पुत्र गुरूदयाल

3/2 हरिसिंह पुत्र गुरूदयाल

3/3 गुगन पुत्र गुरूदयाल

समस्त जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

3/4 मृतक दीपचन्द पुत्र गुरूदयाल जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

3/4/1 मिश्रो देवी स्त्री दीपचन्द जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

3/4/2 राजेश पुत्र दीपचन्द जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

3/4/3 सुबेसिंह पुत्र दीपचन्द

3/4/4 सुशीला पुत्री दीपचन्द

3/4/5 गीता पुत्री दीपचन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/5 मृतक धुमल पुत्र चन्द्रभान नवीरा गुरूदयाल जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/5/1 माया स्त्री धुमल
3/5/2 अजीत पुत्र धुमल जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/5/3 मृतक जयप्रकाश पुत्र धुमल जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/5/3/1 सरीता स्त्री जयप्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/5/3/2 हर्ष पुत्र जयप्रकाश
3/5/3/3 जतिन पुत्र जयप्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) जरिये माता सरिता स्त्री जयप्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/6 जगदीश पुत्र चन्द्रभान नवीरा गुरूदयाल जाति मेघवाल निवासी जोरासी तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3/7 राकेश पुत्र रामकुमार नवीरा गुरूदयाल
3/8 टिकुं पुत्र रामकुमार नवीरा गुरूदयाल
4 सरती स्त्री प्रसादाराम
5 सत्यपाल पुत्र प्रसादाराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
6 संजीव कुमार पुत्र प्रसादाराम
7 अजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
8 नवदीप पुत्र रघुवीर सिंह
9 हरिप्रसाद पुत्र जगनराम
10 बिमला स्त्री सन्तलाल
11 राजेन्द्र पुत्र सन्तलाल
12 मुकेश पुत्र सन्तलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी नरेश सिंह तंवर (आर.ए.एस) मुकदमा उनवानी जीतराम बनाम सुबेसिंह मु.नं. 145/2010 दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 145/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने दिनांक 01.07.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 22.08.2016 को अन्तिम रूप से निर्णय पारित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट उक्त जमीन में से 0.50 हैक्टेयर जमीन का सहखातेदार था तथा इसी मुताबिक अपने 0.50 हैक्टेयर जमीन पर काबिज काश्त था। विचारण न्यायालय ने दावा में दर्ज रिलिफ के मुताबिक दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार बुहाना को 500 रूपये की फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया। विचारण न्यायालय ने जो प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की उससे अपीलान्ट प्रभावित नही इस कारण अपीलान्ट ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करने बाबत तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया था लेकिन तहसीलदार बुहाना विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिये मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का बुहाना ने बनाया है। पटवारी हल्का बुहाना को विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करने बाबत कमिश्नर नियुक्त नहीं किया। विभाजन प्रस्ताव कानून से सभी सह खातेदारों की उपस्थिति में बनाया जाना चाहिये। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट व अन्य सह खातेदारों की उपस्थिति में नहीं बनाये। विभाजन प्रस्ताव बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव पर अन्तिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती। अपीलान्ट 0.50 हैक्टेयर जीन का खातेदार था। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट को 0.49 हैक्टेयर जमीन दी गई है जबकि 0.01 हैक्टेयर जमीन अपीलान्ट की रास्ता में दी गई है। रास्ता में 0. 01 हैक्टेयर जमीन से कम जमीन जाती है। अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन से रास्ता बाबत अधिक जमीन प्राप्त की गई है। विभाजन प्रस्ताव में जहां खसरा नम्बर 980/3 की जमीन अंकित की है वह जमीन 0.49 हैक्टेयर से कम बनती है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट को उतर दिशा में बीच सीमा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तक जमीन नहीं दी। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 980/1 के खातेदार को दक्षिण दिशा में अपीलान्ट के कब्जा की जमीन गलत दी है। इस प्रकार बिना क्षेत्राधिकार के विभाजन प्रस्ताव गलत रूप से पटवारी हल्का ने बनाये हैं जो वास्तविक कब्जा के मुताबिक नहीं है। विचारण न्यायालय ने अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने अन्तिम डिक्री बाला बाला रूप से अपीलान्ट की पीठ पीछे जारी की है। अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का मौका नहीं दिया। आदेशिका दिनांक 22.08.2016 में अन्तिम डिक्री जारी करने में अपीलान्ट की सहमति गलत रूप से मनमर्जी से लिखी है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व अन्तिम डिक्री स्पष्ट व तर्क एवं निष्कर्ष सहित पारित नहीं की। अपीलान्ट पहले मजदुरी करने के लिये बाहर चला गया था इस कारण वकील साहब के दुरभाष नम्बर अपीलान्ट के पास नहीं होने के कारण अपीलान्ट अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री की पहले अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। बाहर से आकर अपीलान्ट दिनांक 23.12.2019 को अपने वकील साहब से मिला तब अपीलान्ट ने दिनांक 23.12.2019 को वकील साहब के बताने पर अलौच्य निर्णय की नकल प्राप्त की। दिनांक 24.12.2019 से आज तक का समय अपीलान्ट को अपील तैयार करवाने में व अपील से सम्बन्धित कागजात एकत्रित करने में व अन्य विधिक सलाह में लग गये। इस प्रकार बरोज जानकारी दिनांक 23.12.2019 से अपील अपीलांट अन्दर मियाद 60 दिन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। किसी कारण वश माननीय न्यायालय अपील अपीलान्ट मियाद बाहर माने उस सुरत में अपीलान्ट को दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावें। देरी माफ करने के लिए दफा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार बुहाना के प्रति हस्ताक्षर है स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है। इस तथ्य की पुष्टि विभाजन प्रस्ताव की इस इबारत से भी होती है कि उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं तहसीलदार बुहाना के आदेश क्रमांक 306 दिनांक 11.07.2016 की पालना में पटवारी हल्का बुहाना के हमराह मौके पर पहुंचा। स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव आईएलआर द्वारा पटवारी के साथ जाकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित किये जाने का एवं मौके पर किसी भी पक्षकार के उपस्थित होने अथवा नहीं होने का अंकन विभाजन प्रस्ताव में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किये गये है। इनके आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर